<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</u> <u>चन्देरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

दांडिक प्रकरण कं.-304/12 संस्थापित दिनांक-30.07.2012 Filling no-235103001602012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर(म.प्र.)।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1—रामकुमार पुत्र जानकी आदिवासी, आयु—25 साल। 2—प्रतिपाल पुत्र गोरेलाल आदिवासी, आयु—27 साल। 3—बहादुर पुत्र कल्याण आदिवासी, आयु—24 साल। निवासीगण— ग्राम कनावटा थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)।

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 06.02.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि 28.06.2015 को समय रात्रि 02:00 बजे ग्राम कनावटा में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसे (सुखराम) धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 06.02.2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया था जो अशमनीय होने से निरस्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी सुखराम ने हमराह उसका साला हरजू आदिवासी के साथ आकर थाना में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह दिनांक 28.06.15 को रात के दो बजे उसके गांव के रामकुमार, बहादुर तथा प्रतिपाल आदिवासी गांव में आयी बारात वालों से झगडा कर रहे थे तो उसने उनको समझाया तो उसे भी गालियां देने लगे तथा गाली देने से मना की तो रामकुमार ने उसे पत्थर से मारा जो बांये तरफ आंख के नीचे लगा चोट होकर खून निकल आया तथा बहादुर एवं प्रतिपाल ने उसकी थप्पडों से मारपीट की। घटना के समय महेन्द्र आदिवासी एवं परमाल आदिवासी थे, जिन्होने घटना देखी। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य एवं परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण ने बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05- राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा 28.06.2015 को समय रात्रि 02:00 बजे ग्राम कनावटा में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसे (सुखराम) धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। अभियोजन साक्षी सुखराम (अ.सा.—01) ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया है कि वह समस्त आरोपीगण को जानता है। उक्त बात का समर्थन साक्षी हज्जू (अ.सा.—02) ने भी किया है। सुखराम (अ.सा.—01) ने बताया कि घटना दिनांक को गांव के रामकुमार, बहादुर व प्रतिपाल आदिवासी से गाली गलौच एवं धक्का मुक्की हो गयी थी इसके अलावा आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त साक्षी ने बताया कि घटना के संबंध में उसके द्वारा चौकी विक्रमपुर पर रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी जो प्रपी—1 है। पुलिस ने उसकी चोटों का शासकीय अस्पताल चंदेरी में ईलाज कराया था और पूछताछ कर बयान लिये थे।
- 07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि रामकुमार ने उसे पत्थर से मारा, जिससे उसकी बांयी आंख पर नीचे की तरफ चोट आयी, और बहादुर एवं प्रतिपाल ने उसकी थप्पडों से मारपीट की। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्रपी—1 एवं पुलिस कथन प्रपी—2 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षी ने वैसी रिपोर्ट व कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है तथा अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी हज्जू (अ.सा. —02) ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नही किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया।
- **08** उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण

द्वारा दिनांक 28.06.2015 को समय रात्रि 02:00 बजे ग्राम कनावटा में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसे (सुखराम) धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। अतः अभियुक्तगण रामकुमार पुत्र जानकी आदिवासी, प्रतिपाल पुत्र गोरेलाल आदिवासी एवं बहादुर पुत्र कल्याण आदिवासी, निवासीगण— ग्राम कनावटा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) को भा.द.वि. की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- 9— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 10- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुददेमाल विधमान नही है।
- 11- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)